राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

सूक्ष्म वित्त पर अध्ययन प्रस्ताव

सूक्ष्म वित्त से जुड़े विभिन्न विषयों पर नाबार्ड के लिए प्रायोजित शोध अध्ययन करने हेतु मान्यता प्राप्त शोध संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं. ये अध्ययन भारत में सूक्ष्म वित्त के विकास के परिप्रेक्ष्य में संचालित किए जाएंगे.

1. **पात्रता**

- विश्वविद्यालय, अनुमोदित शोध संस्थान, संगठन, प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल और अन्य शोध एजेंसियां.
- एजेंसियों को कम से कम 3 वर्षों से अस्तित्व में होना चाहिए.
- एजेंसी ग्रामीण विकास/ सामाजिक क्षेत्र/ सूक्ष्म वित्त के विषय-क्षेत्र में शोध कार्य में लगी होनी चाहिए.
- प्रधान शोधकर्ता को ग्रामीण विकास/ सामाजिक क्षेत्र में कम से कम 7 वर्षों का शोध अनुभव होना चाहिए.

2. **आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए समय अनुसूची**

अनुबंध 1 में दिए गए फार्मेट के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव की हार्ड प्रति मुख्य महाप्रबंधक, सूक्ष्म वित्त नवप्रवर्तन विभाग, 4 डी, सी-24, जी ब्लॉक, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051 को प्रेषित की जानी चाहिए. आवेदन पत्र की विधिवत भरी हुई हार्ड प्रति ऊपर उल्लिखित पते पर 14 अगस्त 2015 को या उसके पहले पहुंच जानी चाहिए. प्रस्ताव की सॉफ्ट प्रतियां mcid@nabard.org पर भेजी जानी चाहिए.

3. **विषय**

अ. भारत में स्वयं सहायता समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम का प्रभाव और कार्यक्रम का सातत्य

आ. परिपक्व स्वयं सहायता समूहों की स्थिति

इ. पूर्वोत्तर राज्यों में स्वयं सहायता समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम की स्थिति, प्रगति और उसके समक्ष चुनौतियां - सूक्ष्म वित्त के भविष्य का मार्ग

ई. स्वयं सहायता समूहों के लिए आजीविका मॉडलों का तुलनात्मक अध्ययन

एजेंसी ऊपर उल्लिखित विषयों में से किसी एक या अधिक विषयों पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है. प्रत्येक विषय पर अध्ययन का प्रस्ताव अलग-अलग प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

अध्ययनों में अनुबंध II में यथा-निर्दिष्ट संदर्भ-विषयों (टीओआर) को शामिल किया जाना चाहिए. मुद्दों का उल्लेख मोटे तौर पर किया गया है और शोधकर्ता विषय से संबंधित अन्य संगत पहलुओं को शामिल कर सकते हैं.

4. पद्धति

अध्ययन अनुभवजन्य तथ्यों (अर्थात नमूना सर्वेक्षण के माध्यम से एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए प्राथमिक आंकड़ों के विश्लेषण, द्वितीयक आंकड़ों के विश्लेषण और संबंधित साहित्य के पर्याप्त अध्ययन और समीक्षा से समर्थित तथ्य) पर आधारित होना चाहिए. सर्वेक्षण के आंकड़ों के संग्रहण से संबंधित कुछ हिस्से को छोड़कर अध्ययन कार्य को एजेंसी आंशिक या पूर्ण रुप से किसी अन्य एजेंसी से नहीं कराएगी. नाबार्ड स्वयं भी अपने अधिकारियों को उपयुक्त रीति से अध्ययन के उचित चरण में अध्ययन से जोड़ने का निर्णय ले सकता है.

5. चयन की पद्धति

आवेदक को आवेदन के निर्धारित फॉर्मेट (अनुबंध I) में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा. शोध के उद्देश्यों, शोध की पद्धति, व्याप्ति, प्रस्तावित बजट आदि के संदर्भ में प्रस्ताव की समीक्षा की जाएगी. संस्था की प्रतिष्ठा, अध्ययन प्रस्ताव के गुण-दोष, एजेंसी और प्रधान शोधकर्ता का गत अनुभव और विशेषज्ञता जैसे तकनीकी मानदंडों के आधार पर और वित्तीय मानदंडों के आधार पर कुछ एजेंसियों का चयन कर एक छोटी सूची तैयार की जाएगी. उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर कुछ सर्वाधिक उपयुक्त प्रस्तावों को प्रस्तुत करने वाली कुछ एजेंसियों को नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुंबई में स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष अपने अध्ययन के तरीके के प्रस्तुतीकरण के लिए आमंत्रित किया जाएगा. प्रस्तावों के गुण-दोष और उपयुक्तता के आधार पर अध्ययन कार्य के लिए एजेंसी को चुना जाएगा. नाबार्ड को यह अधिकार है कि वह (i) अपनी पसंद की एजेंसियों से सीधे आवेदन पत्र आमंत्रित करे और (ii) किसी/ सभी प्रस्तावों को अपने द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर बिना कोई कारण बताए निरस्त कर दे. इस संबंध में, नाबार्ड का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में आगे किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा.

6. परियोजना की अवधि

परियोजना के प्रस्ताव अथवा निबंधन और शर्तों को स्वीकार किए जाने की तारीख से 6 महीने के भीतर अध्ययन को हर प्रकार से पूरा कर लिया जाना चाहिए. एजेंसी को नाबार्ड द्वारा वेटिंग के लिए अध्ययन रिपोर्ट का प्रारूप पर्याप्त समय पहले प्रस्तुत करना चाहिए. किसी भी स्थिति में समय अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

7. रिपोर्ट को अंतिम रूप से स्वीकार करना

विशेषज्ञों (आंतरिक/ बाह्य) द्वारा रिपोर्ट के प्रारूप की समीक्षा की जाएगी और अध्ययन में शामिल करने या उसमें संशोधन करने के लिए एजेंसी को टिप्पणियां प्रेषित की जाएंगी. एजेंसी से कहा जा सकता है कि वह नाबार्ड में स्क्रीनिंग कमेटी/ विशेषज्ञ समिति के समक्ष संशोधित रिपोर्ट को प्रस्तुत करें जो रिपोर्ट को अंतिम रूप देगी/ रिपोर्ट को परिमार्जित करने के लिए आगे और संशोधन के लिए एजेंसी को कहेगी.

8. बजट और निधि का निर्गम

- आवेदक अपने आवेदन पत्र और अध्ययन प्रस्ताव के साथ एक यथार्थपरक बजट भी प्रस्तुत करेगा. अध्ययन का कार्य करने के लिए बजट नाबार्ड द्वारा स्वीकार्य होना चाहिए.

- अध्ययन के निबंधनों और शर्तों की स्वीकृति के बाद मंजूर की गई राशि का 25% एजेंसी को अग्रिम भुगतान के रूप में निर्गत कर दिया जाएगा. शेष बची हुई राशि में से अध्ययन के सफलतापूर्वक पूरे हो जाने के बाद 25% राशि, रिपोर्ट के प्रारूप को स्वीकार किए जाने के बाद 40% राशि और नाबार्ड द्वारा फाइनल रिपोर्ट आने के बाद बची हुई 10% राशि जारी की जाएगी.
- यदि संशोधित प्रारूप नाबार्ड को स्वीकार्य नहीं होगा और/ या संतोषजनक नहीं पाया जाएगा तो एजेंसी को बाकी बची हुई राशि जारी नहीं की जाएगी. इसके अलावा यदि नाबार्ड के संतोषपर्यंत रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती या समय पर परियोजना की रिपोर्ट का प्रारूप प्रस्तुत नहीं किया जाता या पूर्ण होने के पहले ही परियोजना को एजेंसी द्वारा छोड़ दिया जाता है तो एजेंसी को जारी की गई सारी राशि वापस करनी होगी.
- एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि अध्ययन के लिए चुने गए प्रधान शोधकर्ता को सभी प्रकार से अध्ययन के पूर्ण होने तक बदला नहीं जाता यदि ऐसा करना अनिवार्य हो जाए तो एजेंसी को इसके लिए नाबार्ड का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा.
- नाबार्ड मंजूरी-पूर्व प्रस्तुति और रिपोर्ट के प्रारूप की प्रस्तुति के मामले में प्रधान शोधकर्ता की यात्रा लागत (सबसे छोटे मार्ग से इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा का खर्च) और पात्र टैक्सी भाड़े का भुगतान करेगा (प्रतिपूर्ति के आधार पर).

9. जिम्मेदारियां

- जिस एजेंसी को अध्ययन का कार्य दिया जाएगा उसे प्रस्ताव पत्र की प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर परियोजना के निबंधनों और शर्तों को स्वीकार करना होगा. प्रस्ताव को स्वीकार करने की तारीख को परियोजना के आरंभ की तारीख माना जाएगा. एजेंसी को अध्ययन के लिए अनुमोदित समय अनुसूची का पालन करना होगा.
- अध्ययन की मासिक प्रगति रिपोर्ट (तदर्थ प्रगति रिपोर्टों के अलावा) संबंधित अवधि के पूरे होने के 5 दिनों के भीतर नाबार्ड को नियमित रूप से प्रस्तुत करनी होगी.
- नाबार्ड को इस बात का अधिकार होगा कि वह आंतरिक कार्यों में प्रशिक्षण के प्रयोजन से और/ अथवा किसी भी अन्य रूप में/ प्रयोजन से, जैसा वह चाहे, रिपोर्ट और अध्ययन के निष्कर्षों का उपयोग कर सके.
- एजेंसी और/ या प्रधान शोधकर्ता को बिना नाबार्ड की लिखित अनुमति प्राप्त किए इस रिपोर्ट को या अध्ययन परियोजना के निष्कर्षों को प्रकाशित करने का अधिकार नहीं होगा.
- अध्ययन परियोजना/ कार्यक्रम से उत्पन्न होने वाले किसी सांविधिक दायित्व, जैसे आयकर का भुगतान आदि, की पूरी जिम्मेदारी एजेंसी की होगी. अगर कोई छूट होगी तो वह छूट एजेंसी को सक्षम प्राधिकारी से लेनी होगी और यदि स्रोत पर कटौती से बचना हो तो नाबार्ड में छूट का प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा. इसके विवरण को प्रस्ताव में उल्लिखित करना होगा.
- नाबार्ड को यह अधिकार होगा कि यदि परियोजना शुरू नहीं होती या परियोजना के अंतर्गत प्रगति असंतोषजनक रहती है तो वह मंजूरी को वापस ले ले और जारी की गई राशि को वापस मांग ले.

अनुबंध ।

वर्ष 2015 16 के दौरान सूक्ष्म वित्त पर अध्ययन के लिए आवेदन पत्र का फॉर्मेट

1	अध्ययन का शीर्षक	
2	एजेंसी का नाम और पता	
3	आवेदक का परिचय *(कृपया संगठन की प्रकृति, उसकी विधिक हैसियत, उसके अधिदेश, उसकी प्रमुख गतिविधियों आदि का उल्लेख करें. पंजीकरण की प्रतियां, प्रमाण पत्र, पिछले 3 वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, एजेंसी द्वारा पिछले 3 वर्ष में पूर्ण अध्ययनों/ परियोजनाओं की विस्तृत सूची) सूक्ष्म वित्त के अंतर्गत अध्ययनों/ परियोजनाओं का विवरण*	
4	प्रधान शोधकर्ता का विवरण *(एक संक्षिप्त जीवनवृत्त जिसमें नाम, पदनाम, संपर्क विवरण, योग्यता, विशेषज्ञता के क्षेत्र, अनुभव, महत्वपूर्ण प्रकाशन, पूर्ण/ चल रही शोध परियोजनाओं/ योजनाओं आदि का विवरण दिया गया हो)*	
5	नाबार्ड सहित विभिन्न एजेंसियों/ सगठनों की वित्तीय सहायता से प्रधान शोधकर्ता और एजेंसी द्वारा पूरी की गई महत्वपूर्ण शोध परियोजनाओं/ योजनाओं का विवरण	
6	परियोजना से जोड़े जाने वाले अन्य शोध स्टाफ के नाम और पदनाम *(उनकी योग्यता, विशेषज्ञता के क्षेत्र, अनुभव, प्रमुख प्रकाशन पूरी की गई या चल रही महत्वपूर्ण शोध परियोजनाओं/ योजनाओं का विवरण देते हुए प्रत्येक व्यक्ति का एक संक्षिप्त जीवन वृत्त संलग्न करें.)*	
7	प्रस्तावित परियोजना के लिए एजेंसी के पास उपलब्ध तकनीकी स्टाफ और बुनियादी संरचना का विवरण	
8	अध्ययन प्रस्ताव का विवरण *(पृष्ठभूमि, अध्ययन की समस्या, उद्देश्य, परिकल्पना, विस्तृत शोध पद्धति, अध्याय योजना, अध्ययन दल के संघटन, अवधि, विस्तृत बजट और अन्य संगत विषयगत विवरण को शामिल करते हुए स्वत: संपूर्ण दृष्टिकोण पत्र की दो प्रतियां प्रस्तुत की जाएं.)*	
8.1	परियोजना का उद्देश्य *(संक्षिप्त समस्या-उन्मुख और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर हासिल किए जाने योग्य हो. प्रमुख मान्यताओं और जिसका परीक्षण किया जाना है उस मूलभूत परिकल्पना के निर्माण का स्पष्ट विवरण.* प्रस्तावों में विस्तृत विवरण दिया जाए.)	
8.2	अध्ययन का डिजाइन अध्ययन के लिए अपनाई जाने वाली कार्यपद्धति और नमूने का आकार: *(प्रस्तावित फील्ड विजिट, संगृहीत किए जानेवाले आंकड़ों, प्रस्तावित सांख्यिकीय विश्लेषण आदि के खाके के साथ कार्यपद्धति और डिजाइन. नमूना आकार*	

	शामिल किए जाने वाले क्षेत्र आदि के बारे में संक्षिप्त सटीक योजना दी जाए. विस्तृत विवरण प्रस्ताव में दिया जा सकता है.)	
8.3	आंकड़ों के विश्लेषण और प्रोसेसिंग की व्यवस्था	

9. कार्य योजना

क्रम सं.	कार्य मद	माह 1	माह 2	माह 3	माह 4	माह 5	माह 6
1							
2							
3							
4							
5							

10. वित्तीय पहलू

क्रम सं.	विवरण	माह 1	माह 2	माह 3	माह 4	माह 5	माह 6
1	वेतन/ मानदेय (विवरण दें)						
2	यात्रा लागत/ डेटा संग्रह (विवरण दें)						
3	लेखन सामग्री, टंकण, मुद्रण आदि						
4	आकस्मिक व्यय (विवरण दें)						
5	अन्य (विवरण दें)						
	जोड़						

11. परियोजना संबंधी अन्य संगत विवरण

1. हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

तारीख

(प्रधान शोधकर्ता)

2. हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

तारीख

(संस्था का प्रमुख)

अनुबंध II
अध्ययन के लिए संदर्भित विषय

अ. भारत में स्वयं सहायता समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम का प्रभाव और स्थायित्व

1. दायरा: यह अध्ययन उन प्रतिनिधिमूलक राज्यों में कराया जाएगा जहां स्वयं सहायता समूह की उच्च सघनता है. इस अध्ययन का उद्देश्य यह समझना होगा कि समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले वर्षों में देश में प्रमुख विकास क्या हुए हैं. यह अध्ययन छह राज्यों - कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और असम - में कराए जा सकते हैं. गहन विशलेषण के लिए प्रत्येक राज्य से 2 जिले चुने जा सकते हैं - एक कम विकसित जिला और दूसरा विकास संकेतकों से संबंधित डाटा की दृष्टि से और समूह बैंक सहबद्धता की पर्याप्त संख्या वाला विकसित जिला.

2. समय सीमा: छह माह

3. अध्ययन किए जाने वाले महत्वपूर्ण पहलू

I. स्वयं सहायता समूह की स्थिति: बैठकों की नियमितता, छोटी-छोटी बचतें, बुक कीपिंग, आंतरिक ऋण परिचालन, बैंक सहबद्धता, चुकौती, चुकौती को प्रभावित करने वाले कारक, आजीविका गतिविधियां, संयुक्त देयता समूहों का गठन, वैयक्तिक बैंकिंग, सूक्ष्म बीमा, सूक्ष्म पेंशन, नए युग की बैंकिंग, प्रौद्योगिकी अपनाना, प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना के अंतर्गत सदस्यों का कवरेज.

II. क्षमता निर्माण: स्वयं सहायता समूहों और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, कौशल विकास के प्रयासों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता, सूक्ष्म उद्यमिता विकास कार्यक्रम, आजीविका कार्यक्रम आदि.

III. प्रभाव आकलन: आर्थिक गतिविधियों, परिवार कल्याण और सदस्यों के सामाजिक सशक्तीकरण पर स्वयं सहायता समूहों का प्रभाव. प्रभाव के आकलन के लिए 'समूह के गठन के पूर्व और पश्चात' और और 'समूह की सदस्यता के साथ और उसके बिना' पद्धति अपनाई जा सकती है.

IV. तुलनात्मक विश्लेषण: विभिन्न प्रकार की स्वयं सहायता संवर्धन संस्थाओं द्वारा प्रवर्तित समूहों के संदर्भ में गुणवत्ता, मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं का तुलनात्मक विश्लेषण; एमएफ़आई-एसएचजी लिंकेज बनाम एसएचजी-बैंक लिंकेज, बैंक से सहबद्ध होने के बावजूद स्वयं सहायता समूहों के सदस्य सूक्ष्म वित्त संस्थाओं से ऋण लेने को तरजीह क्यों देते हैं?

V. बैंकिंग संस्थाओं की भूमिका: स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, सूक्ष्म वित्त, ऋण सहबद्धता, बैंकर और समूह के बीच संबंध आदि के बारे में बैंकरों की धारणा और उन्हें सहयोग.

VI. निष्क्रियता और निरंतरता संबंधी मुद्दे: समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम की प्रकृति और कार्यक्रम में निष्क्रियता की व्याप्ति, निष्क्रियता के कारण, निष्क्रियता की बारंबारता, निष्क्रिय समूहों के पुनरुज्जीवन की संभावना, स्वयं सहायता समूहों की निरंतरता से संबंधित समस्याएं और संभावनाएं.

VII. हितधारकों की भूमिका: स्वयं सहायता समूह संवर्धन संस्थाओं, समूहों के महासंघों और अन्य हितधारकों की भूमिका और क्षमता.
VIII. अनुशंसाएं रणनीतियां और नीतिगत निष्कर्ष.

आ. परिपक्व स्वयं सहायता समूहों की स्थिति
1. दायरा: अध्ययन में परिपक्व समूहों के पूर्ववृत्त का विश्लेषण किया जाएगा. अध्ययन के लिए नमूने के रूप में केवल ऐसे परिपक्व स्वयं सहायता समूहों को चुना जाएगा जो 3 वर्ष से अधिक समय से चल रहे हैं. स्वयं सहायता समूहों को तीन श्रेणियों में बांटा जाएगा - 3 से 5 वर्ष तक पुराने, 5 से 7 वर्ष तक पुराने और 7 वर्ष से अधिक पुराने. इनका अध्ययन अलग अलग किया जाएगा. यह अध्ययन चार राज्यों - पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड और राजस्थान में किया जाएगा.

2. समय सीमा: छह माह

3. अध्ययन किए जाने वाले महत्वपूर्ण पहलू:
I. स्वयं सहायता समूहों का कामकाज: नियमित बैठकों का आयोजन, निर्णय लेने की प्रक्रिया, बचत की शैली, बुक कीपिंग, आंतरिक और बाह्य ऋण परिचालन, बैंक के खातों का रखरखाव, नेतृत्व में आवधिक बदलाव. यह भी देखा जाएगा कि क्या बचत और ऋण के आकार में वृद्धि के साथ साथ आपसी विश्वास का स्तर घटता है, आदि

II. ऋण प्रवाह की प्रवृत्तियां और शैली: विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से समूहों को प्राप्त ऋण; ऋण प्रवाह समय पर उपलब्धता और पर्याप्तता; चुकौती की शैली और व्यवहार; चूक और एनपीए, यदि कोई हो और उसके कारण; ऋण जोखिम का प्रबंधन; ऋण सहबद्धता और दुबारा ऋण का प्रभाव; दुबारा ऋण के कम अनुपात के कारण.

III. आजीविका गतिविधियां: स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की आजीविका गतिविधियों की प्रकृति, शैली और उपयुक्तता; आजीविका गतिविधियों का आमदनी और सामाजिकता पर प्रभाव; कोई आर्थिक गतिविधि शुरू करने के लिए संयुक्त देयता समूह/ उत्पादक समूह/ कंपनी/ सहकारी संस्थाओं के रूप में संस्थागत विकास.

IV. स्वयं सहायता समूहों का आरंभिक मार्गदर्शन और सहयोग: स्वयं सहायता संवर्धन संस्थाओं, बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं, राज्य सरकारों आदि द्वारा दिए जाने वाले आरंभिक मार्गदर्शन और सहयोग की प्रकृति और उसका विस्तार; समूहों के सदस्यों और अन्य हितधारकों का क्षमता निर्माण और कौशल विकास; अपेक्षित और विद्यमान कौशल के बीच अंतराल; बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की उपलब्धता, समयबद्धता और पर्याप्तता.

V. सामुदायिक विकास: सामुदायिक विकास में परिपक्व स्वयं सहायता समूहों की भूमिका - सामाजिक सशक्तीकरण, साक्षरता, स्वच्छता, स्वास्थ्य, सरकारी विभागों, सेवा प्रदाताओं, सामाजिक संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं आदि के साथ संबंध.

VI. टेक्नोलॉजी का उपयोग: स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा टेक्नोलॉजी आधारित सेवाओं जैसे मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, पॉइंट ऑफ सेल, किसान क्रेडिट कार्ड, जनरल क्रेडिट कार्ड, एटीएम, इंटरनेट, कंप्यूटरीकृत बुक कीपिंग आदि का उपयोग.

VII. निष्क्रियता और निरंतरता संबंधी मुद्दे: स्वयं सहायता समूहों में निष्क्रियता की प्रकृति और व्याप्ति, निष्क्रियता के कारण, निष्क्रियता की बारंबारता, निष्क्रिय समूहों के पुनरुज्जीवन की संभावना, स्वयं सहायता समूहों की निरंतरता से संबंधित समस्याएं और संभावनाएं.

VIII.सूक्ष्म वित्त संस्थाएं बनाम स्वयं सहायता समूह बैंक सहबद्धता - समस्याएं और संभावनाएं

IX. अनुशंसाएं रणनीतियां और नीतिगत निष्कर्ष.

इ. पूर्वोत्तर के राज्यों में स्वयं सहायता समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम की स्थिति, प्रगति और उसके समक्ष चुनौतियां - सूक्ष्म वित्त - भविष्य की राह

1. दायरा: यह अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों में कराया जाएगा ताकि स्वयं सहायता समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम की समस्याओं और संभावनाओं को तथा इस क्षेत्र में सूक्ष्म वित्त सहयोग के संभावित अवसरों को अच्छी तरह समझा जा सके. यह अध्ययन मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा (असम और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर पूर्वोत्तर के सभी राज्य) में किया जाएगा. गहन विश्लेषण के लिए प्रत्येक राज्य से स्वयं सहायता समूहों की अपेक्षाकृत अधिक सघनता वाले 2 जिले चुने जाएंगे जिनमें से एक समतल इलाके से और एक पर्वतीय क्षेत्र से होगा. प्रत्येक राज्य की रिपोर्ट अलग तैयार की जाएगी.

2. समय सीमा: छह माह

3. अध्ययन किए जाने वाले महत्वपूर्ण पहलू

I. पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह की स्थिति, छोटी-छोटी बचतों, बुक कीपिंग, आंतरिक ऋण परिचालन आजीविका गतिविधियों, सामाजिक गतिविधियों, समूहों आदि की प्रकृति और व्याप्ति.

II. क्षेत्र में **अच्छे और प्रतिबद्ध स्वयं सहायता संवर्धन संस्थाओं की उपस्थिति**, सहयोग के लिए अपेक्षित संरचनाओं की पहचान और एनईआरएलपी, एनईआरसीओआरएमपी, एमआरडीएस आदि जैसे अन्य कार्यक्रम.

III. **समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम की धीमी प्रगति के कारण और अन्य चुनौतियां** जैसे न्यूनतम सदस्यता, सामाजिक ढांचा, शिक्षा, वित्तीय साक्षरता, आदि. पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम के लिए उपयुक्त मॉडल.

IV. स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों, स्वयं सहायता संवर्धन संस्थाओं और अन्य हितधारकों के **प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और अन्य सहयोगों की प्रकृति और व्याप्ति;** क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की सार्थकता; प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम में अपनाई जाने वाली पद्धति; अंतरालों/ कमियों का आकलन.

V. समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए **राज्य सरकार के प्रयास**; ऐसे प्रयासों का राज्यवार और क्षेत्रवार प्रभाव; समूह के गठन, बैंक सहबद्धता और आजीविका संवर्धन के रूप में पूर्वोत्तर राज्यों में एनआरएलएम की स्थिति.

VI. **बैंक सहबद्धता की प्रकृति और व्याप्ति;** खाता खोलने और ऋण प्राप्त करने में सामने आने वाली समस्याएं यदि कोई हों; बैंकिंग सुविधाओं और एटीएम, बीसी, बीएफ जैसे अन्य केंद्रों की उपलब्धता; ऋण देने के रूप में बैंकों के सहयोग का स्तर; वसूली प्रबंधन; चूक और अनर्जक आस्तियों सहित समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम में अन्य समस्याएं.

VII. स्वयं सहायता समूह को सूक्ष्म उद्यमों के रूप में विकसित करने और स्वयं सहायता समूह में आजीविका के संवर्धन में **एनआरएलएम सहित विभिन्न हितधारकों की भूमिका**.

VIII. सूक्ष्म वित्त में **सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफ़आई) की भूमिका:** सूक्ष्म वित्त संस्था के रूप में काम करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी बनाम सूक्ष्म वित्त संस्था के रूप में काम करने वाला गैर-सरकारी संगठन; पर्वतीय क्षेत्र बनाम समतल क्षेत्र; सूक्ष्म वित्त संस्था बनाम सूक्ष्म वित्त संवर्धन संस्था; सूक्ष्म वित्त संस्था बनाम बैंक.

IX. ग्रामीण परिवारों को वित्तीय मध्यस्थता की सुविधा देने वाली **स्थानीय स्तर की संस्थाओं की उपस्थिति की प्रकृति और व्याप्ति;** उनकी कार्यपद्धति, प्रबंधन, बुक कीपिंग, निर्णय लेने की प्रक्रिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूक्ष्म वित्त के विस्तार में ऐसी संस्थाओं के उपयोग की संभावना; बैंकों के साथ ऐसी संस्थाओं को ऋण सहबद्ध करने की संभावना - उपयुक्त मॉडल.

X. भविष्य की राह - पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम में सुधार के लिए रणनीतियां - क्षेत्रवार/ राज्यवार; समतल मैदानों और पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासी विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वैकल्पिक और उपयुक्त उत्पाद. अनुशंसाएं, सुझाव और नीतिगत निष्कर्ष.

ई. स्वयं सहायता समूह के आजीविका मॉडलों का तुलनात्मक अध्ययन

1. तीन अलग-अलग प्रकार की एजेंसियों, नामत: सूक्ष्म वित्त संस्थाओं, राज्य सरकार की एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों/ स्वयं सहायता संवर्धन संस्थाओं द्वारा समर्थित समूहों के सदस्यों के लिए आजीविका संवर्धन प्रयासों का तुलनात्मक अध्ययन. यह अध्ययन दो राज्यों, बिहार और गुजरात, में किया जाएगा. प्रत्येक राज्य में इस अध्ययन में कम से कम एक सूक्ष्म वित्त संस्था, सरकारी एजेंसी और कुछ गैर-सरकारी संगठनों/ स्वयं सहायता संवर्धन संस्थाओं को शामिल किया जाएगा जिन्होंने अपने द्वारा प्रवर्तित या स्वयं से सहबद्ध स्वयं सहायता समूहों के बीच आजीविका संवर्धन का कार्य शुरू किया है.

2. समय सीमा: छह माह

3. अध्ययन किए जाने वाले महत्वपूर्ण पहलू

I. तीन प्रकार की एजेंसियों द्वारा आजीविका संवर्धन/ संवर्धनात्मक गतिविधियों आदि के विभिन्न मॉडलों के बीच तुलना;

II. समर्थित आजीविका गतिविधि का प्रकार, प्रमुख गतिविधियां - कृषि, पशुपालन, अनुषंगी गतिविधि, ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र गतिविधि आदि.

III. आय के स्तर और सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के रूप में स्वयं सहायता समूह/ समूहों के सदस्यों/ परिवारों पर आजीविका गतिविधि का प्रभाव.

IV. स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म उद्यमों के रूप में विकसित करना - प्रक्रिया और प्रभाव.

V. एजेंसी द्वारा दिया जाने वाला आरंभिक मार्गदर्शन और सहयोग, क्षमता निर्माण, कौशल और उद्यम प्रशिक्षण, कच्चे माल की आपूर्ति, आजीविका के अवसरों के साथ संबंध बनाना, माल का विपणन और भंडारण; अन्य सेवाएं जैसे सूक्ष्म पेंशन, सूक्ष्म बीमा, व्यवसाय कौशल प्रशिक्षण, व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऋण, आवासन, स्वास्थ्य आदि.

VI. विभिन्न आजीविका कार्यक्रमों के विविध मॉडलों के अंतर्गत अपेक्षित सफलता के लिए जिम्मेदार कारक; सर्वोत्तम प्रथाएं और सीखने योग्य बातें; परिणामों में बेहतरी के लिए सुधारात्मक उपाय.

VII. अनुशंसाएं, सुझाव और नीतिगत निष्कर्ष.